न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, email - scdisability2008@gmail.com

Website : scdisabilities.org

पत्रांक- 1123 / आ० नि० को० दिनांक 21.08.2020

आदेश

वाद संख्या-85/2015

वादी :- **श्री राकेश कुमार यादव, पिता-श्री रामाजी यादव, हजियापुर (खाड्), वार्ड नं0-10, पोस्ट+थाना व जिला-गोपालगंज**

प्रतिवादी :- (1) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज।

(2) जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज।

विषय :- **शिक्षा विभाग, गोपालगंज द्वारा वर्ष-2012 से चल रहे शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में नियमानुसार अस्थिबाधित निःशक्त, श्री राकेश कुमार यादव का नियोजन राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार द्वारा पारित आदेश सं0-754ए दि0-19.11.2016 तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालंगज के आदेश सं0-219 दि0-16.04.2016 के अन्तर्गत स्पष्ट पारित आदेश के बावजूद नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।**

सुनवाई की तिथि-दिनांक-13.08.19, 30.09.2019, 21.10.2019, 18.11.2019, 06.01.2020 एवं 27.02.2020

वादी विषयक नियोजन हेतु अस्थिबाधित दिव्यांग (दिव्यांगता का प्रतिशत 55%) अभ्यर्थी हैं। प्रतिवादी जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज सम्बन्धित नियोजन हेतु नियंत्री प्राधिकारी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव प्रखण्ड नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज संबंधित नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

विषयक मामले में इस न्यायालय द्वारा पत्रांक-754ए दि0-29.11.2016 अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत वादी के नियोजन पर भी निर्णय आदेशित था।

इस विषय में न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के केस सं0-11121/1014/2019/R16725, दिनांक-29.05.2019 एवं वादी द्वारा भी इस न्यायालय को समर्पित शिकायत के आलोक में इस वाद में पुनः कार्रवाई की गई। उक्त केस/शिकायत में इस न्यायालय के आदेश पत्रांक-754ए दि0-29.11.2016 का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया गया है कि इस अनुक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश पत्रांक-219 दि0-16.04.2016 जो वादी को सम्बन्धित विषय में नियोजन पत्र निर्गत करने से सम्बन्धित था, का अनुपालन नहीं किया गया। तदनुसार मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत शिकायत निष्पादन हेतु कार्रवाई की गई व वादी तथा प्रतिवादियों को प्रतिवेदन सहित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन जारी किया गया।

इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विविध निर्धारित सुनवाई की तिथियों दिनांक-13.08.19, 30.09.2019, 21.10.2019, 18.11.2019, 06.01.2020 एवं 27.02.2020 को मामले की सुनवाई की गई, जिसके अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज; जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज; निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सम्बन्धित मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र०पृ०उ०......

सम्बन्धित मामले में न्यायालीय प्रक्रिया के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज द्वारा पत्रांक-853 दिनांक-13.08.2019, 1248 दि0-14.11.2019, 06 दि0-04.01.2020 तथा 200 दि0-26.02.2020 इस न्यायालय को समर्पित किया गया तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा पत्रांक-05 दि0-04.01.2020 न्यायालय को समर्पित किया गया।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज द्वारा समर्पित विविध पत्रों के अन्तर्गत सम्बन्धित मामलों में जुड़े तथ्यों का उल्लेख करते हुए वादी के नियोजन के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा समर्पित पत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज के पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुरूप ही बिन्दु अंकित किये गये है।

विदित हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 का मूल उद्देश्य, अन्य के अतिरिक्त, यह है कि समुचित सरकार यथा राज्य सरकार समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी, जिससे उनके समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होने के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इस क्रम में अधिनियम,2016 की धारा-34 के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति हेतु दिव्यांगजनों को आरक्षण करने का प्रदान किया गया है। उक्त के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-13062 दि0-12.10.2017 के अन्तर्गत उक्त के अनुपालनार्थ निदेश निर्गत किये गये है।

सम्बन्धित मामले में न्यायालीय कार्रवाई के दौरान समर्पित प्रतिवेदनों के सम्यक अध्ययन से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि सम्बन्धित तंत्र द्वारा एक दिव्यांगजन अर्थात वादी को प्रदत्त विधिसम्मत अधिकार संबंधी प्रावधान के अनुपालन में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई नही की गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के स्तर से स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बावजूद नियोजन समिति द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज अपने प्रतिवेदनों में अब भी यह उल्लेख करते हैं कि आवंटित रोस्टर बिन्दु में नि:शक्तता संबंधी नियोजन का उल्लेख नहीं किया गया, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। साथ ही इस तथ्य के रहते हुए भी उनके स्तर से यह अपेक्षित था कि वे इस बारे में अपने स्तर से सूचना प्राप्त कर लेते। ऐसा हो पाने की स्थिति में वादी को अपने अधिकार प्राप्ति के लिए लम्बे न्यायालीय प्रक्रिया के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। वादी द्वारा भी नियोजन समिति को इस सम्बन्ध में नियम संगतता का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया था। साथ ही उल्लेखनीय है कि मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश पत्रांक-754ए दि0-29.11.2016 की भावना के अनुरूप कार्रवाई की स्थिति में इस अग्रेतर न्यायालीय प्रक्रिया एवं एक नये आदेश की आवश्यकता ही नही रह जाती है।

बहरहाल, सम्बन्धित मामले में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिक्षक नियोजन सम्बन्धी शिकायत के मामलों में जिला अपीलीय प्राधिकार, गोपालगंज सक्षम प्राधिकार है तथा यह मामला सम्बन्धित प्राधिकार के अन्तर्गत भी विचाराधीन है। परन्तु, साथ ही वाद की सुनवाई के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव नियोजन समिति, उचकागाँव, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिला अपीलीय प्राधिकार, गोपालगंज अन्तर्गत पीठासीन पदाधिकारी का पद विगत वर्ष से रिक्त होने के कारण इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामले में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है। तदनुसार मामले विशेष में यह न्यायालय सक्षम प्राधिकार है।

कृ0पृ030.....

नियोजन संबंधी इस मामले का व्यावहारिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है और सर्वहित में इस पक्ष का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर हुई चूक की वजह से एक दिव्यांग अभ्यर्थी अर्थात वादी को अपने अधिकार प्राप्ति अर्थात सरकारी स्थापन अन्तर्गत नियोजन में आरक्षण का लाभ प्राप्ति हेतु न्यायालीय प्रक्रियाओं के लम्बे दौर से गुजरना पड़ रहा है, जो अभी भी लम्बित है।

इस मामले में वादी से प्राप्त पत्र अनुरूप वादी शिक्षक नियोजन,2019 (विषय अंग्रेजी, वर्ग 6 से 8) के भी अभ्यर्थी हैं। शिक्षक नियोजन,2019 के लिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उचकागाँव प्रखण्ड के सम्बन्ध में मध्य विद्यालय (वर्ग 6 से 8) के लिए निर्गत बिन्दुवार रोस्टर में अंग्रेजी विषय के लिए रोस्टर बिन्दु 169, 170, 171 तथा 172 चिन्हित किए गए है। साथ ही दिव्यांगों को प्रदत्त आरक्षण के अनुपालन में वर्ष 6 से 8 हेतु अंग्रेजी विषय में दिव्यांग कोटि में नियोजन हेतु आरक्षित पद का नियोजन इकाईवार विवरणी के अन्तर्गत अस्थिजन्य दिव्यांगता हेतु एक आरक्षित सीट भी रोस्टर बिन्दु 151 से 172 के अन्तर्गत आती है। उक्त के आधार पर वादी के प्रखण्ड उचकागाँव, गोपालगंज के अन्तर्गत विषय अंग्रेजी, वर्ग 6 से 8 में नियोजन की स्थिति विहित नियमानुकूल है।

तदनुसार इस वाद में पूर्व में हुए प्रशासनिक चूक के मामले में निश्चित उत्तरदायिता निर्धारित किये जाने में संदेह का लाभ व व्यावहारिक पक्ष को तरजीह देते हुए सम्बन्धित नियोजन तंत्र को यह आदेशित किया जाता है कि शिक्षक नियोजन,2019 अन्तर्गत वादी का प्रखण्ड उचकागाँव, गोपालगंज के अन्तर्गत वर्ग 6 से 8, अंग्रेजी विषय से सम्बन्धित रोस्टर बिन्दुओं अन्तर्गत नियोजन आगामी पन्द्रह दिनों के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित पक्षों को प्रेषित कर दें। एतद द्वारा वाद को निष्पादित किया जाता है।

21.08.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1123/आ० नि० को०

दिनांक- 21 अगस्त'2020

प्रतिलिपि-

(1) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(2) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(3) अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
(4) उप मुख्य आयुक्त, न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को उनके प्रेषकांक- केस सं0-11121/1014/2019/R16725, दिनांक-29.05.2019 के संदर्भ में,

.... सूचनार्थ प्रेषित।

21.08.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।